

राष्ट्रीय संघर्ष / कांग्रेस / गाँधी की भूमिका :-

• हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीकों व धार्मिक तत्वों का प्रयोग किए जाने से मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय संघर्ष से प्रतिकर्षित होता रहा।

प्रथम चरण की क्रान्तिकारिता व तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी नेतृत्वकर्ताओं ने जिस तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समर्थन किया, उससे राष्ट्रीय संघर्ष हिन्दूवादी धाँदोलन आदीक प्रतीत होने लगा और मुस्लिम समुदाय का अपने हितों की रक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी।

1916 के लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार लेना ही एक बड़ी भूल साबित हुआ क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की इस नीति ने अपने राजनैतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मुस्लिम नेताओं में अपने विशेष महत्व की महत्वाकांक्षा का बढ़ावा दिया।

गाँधी जी भी साम्प्रदायिकता के वास्तविक स्वरूप को समझने में असफल रहे और उन्होंने कई अवसरों पर मुस्लिम समुदाय का साथ लेने के लिए मुस्लिम नेताओं की नाजायज माँगों का भी स्वीकार लिया।

गोंधी के उन त्वाष्टिकरण ने स्वार्थी नेताओं की आकांक्षा को और बड़ा दिया वस्तुतः गोंधी राष्ट्रवाद को एक बड़ा व महत्वपूर्ण विषय मानते थे और उनकी सोच थी कि अंततः राष्ट्रीय भावनाभी साम्प्रदायिकता को अच्चाहित कर लेगी।

गोंधी साम्प्रदायिकता का सही आकलन करने में नूक गए और वे इसके पीछे ब्रिटिश षणमात्र का सही आकलन न कर सके, रसीलिए राष्ट्रवाद के साथ-साथ साम्प्रदायिकता भी बढ़ती गई और हमें आजादी के साथ ही विभाजन का भी स्वीकारना पड़ा।

पाकिस्तान अलगवादी आन्दोलन

पुत्रम-परण।

- सर सैमद अहमद ने भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म देते हुए कहा कि यहां हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।
- 1930 में मौहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की।
- 1932 में केंब्रिज छात्र-नेतृ रहमत अली ने "अभी नहीं तो कभी नहीं" नामक पंफ्लेट निकाला और अपने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का नाम पाकिस्तान दिया।

द्वितीय चरण :-

- 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग को कराची हार का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि वह विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी मात्र 10 प्रतिशत वोट हासिल कर सकी थी इस शिकस्त के बाद जिन्ना धर्म आधारित राजनीति करने लगे और अपने आप को मुस्लिम हितों का रक्षक घोषित कर दिया। इसलिए जब 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दिया तो जिन्ना ने इसे मुस्लिम दिवस मनाया और कहा कि यह हिन्दू राज्य से मुस्लिम है।
- 1940 में मुस्लिम लीग के लॉर्ड अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित होना अब इस विषय को व्यवहारिक व आधिकारिक रूप देने लगा और जब 1943 में "विभाजन करो और छोड़ो का नारा" लीग ने दिया तो पाकिस्तान अलगाववादी शान्पौलन का और उग्रता मिलने लगी।
- 1945 के चुनावों में मुस्लिम लीग एक प्रभावी शक्ति बन कर उभरी और उसने विशेष निर्वाचन प्रणाली में लगभग 88% प्रतिशत वोट पाकर अपने आप को मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित कर दिया।

तृतीय चरण :- 1946-47 - विभाजन की अनिर्णयता :-

• 1946-47 के बीच की मुख्यतः तीन घटनाओं ने ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दीं, की भारत विभाजन को टाला न जा सका

A- 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और नारा दिया " लड़ के लेंगे पाकिस्तान " इस घोषणा ने लगभग पूरे भारत में साम्प्रदायिक दंगों को भड़का दिया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी ।

B- 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर अन्तरिम सरकार गठित की गई जिसमें पहले तो मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इनकार कर दिया किन्तु बाद में सरकार में शामिल होकर उसकी कार्यवाहियों को माधित करने लगे जिससे अशांति की स्थिति उत्पन्न होने लगी

उल्लेखनीय तथ्य यह भी था कि दंगों के समय सरकार पुलिस या सैनिक कार्यवाही करने में असमर्थ रही यह विषय अभी भी अंग्रेजों के पास था अतः सरकार में होते हुए भी दंगों को न रोकवाने से एक शतक स्थिति पैदा हो गयी थी ।

C- माउंटबैटन भारत के आमः सभी बड़े नेताओं को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि

मादि वे विभाजन के लिए मान जाएं तो वे एक वृद्ध और समृद्ध भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे।

इन तीन छतनाशों ने कांग्रेस व अन्य भारतीय नेतृत्वकर्ताओं को भारत विभाजन स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। "शांति की स्थापना" व भारत के बेहतर भाविष्य का आकलन करते हुए विभाजन को स्वीकारना पड़ा जैसे कि - सरदार पटेल के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो परिस्थिति पाँच बने चुकी है, यदि हम पाकिस्तान को नहीं स्वीकारेंगे फिर कब तक पाकिस्तान की परिस्थिति उभरने लगेगी। नेहरू ने स्पष्ट कहा कि वे धर्म के आधार पर विभाजन को नहीं स्वीकार रहे बल्कि विभाजन को इस रूप में देखा जाना चाहिए जैसे कि दो भासियों के बीच सम्पत्ति का बंटवारा होता है। वही गाँधी जी जो किसी भी तरह विभाजन के पक्ष में नहीं थे और यहाँ तक कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा किन्तु जब जोआखली के दंगे के समय उनकी भूलव हड़ताल शान्ति स्थापना में भी असफल रही तो उन्होंने कहा मैं कोई ऐसा मंत्र नहीं जानता जो लोगों के मनो को जोड़ सके।

विशेष :- 2019 में केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि विराट्ट सिद्धांत को भारत नहीं मानता अतः हिन्दू व मुस्लिम राष्ट्र भारत के सम्पर्क में सही नहीं हैं

भारत विभाजन के सिद्धांत :

(i) अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत :-

1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद वैचारिक या मानसिक युद्ध के रूप में विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर गयी। अमेरिका व सोवियत संघ भारत को अपने पक्ष में करना चाहते थे किन्तु जब नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली तो इन दोनों महाशक्तियों को भारत का विभाजन लाभदायक लगने लगा।

(ii) लंदन की प्रक्रिया :-

- द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक व सैन्य क्षमता कमजोर हो चली थी और यहाँ तक कि भारत का ही ब्रिटेन पर ऋण स्थापित हो गया था।
- भारत में ब्रिटिश ICS आधिकारी जिन्हें स्टील हेम कहा जाता था भी कमजोर होने लगा। 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय ICS बन चुके थे तो दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज व शाही

नों सेना विद्रोह ने जिन तरह सैनिक व अलैनिक लक्ष्य रक कर दिए तथा स्वतः विद्रोहों की शृंखला स्थापित होने लगी, उससे ब्रिटिश शासकरी अब भारत में रहने के इच्छुक नहीं थे।

यही कारण था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पहले जून 1948 में भारत की स्वतंत्रता की बात कही किन्तु उन्हें 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद करना पड़ा।

(ii) क्षेत्रीय सिंक्रांत :-

(a) संरचनात्मक :-

1937 के चुनावों के बाद दार्म आधारित राजनीति ने माले-मितो स्वर के द्वारा बोधे गए विधेले तीज को प्वाद पानी देना शुरु कर दिया। 1945 आते-आते हिन्दू और मुस्लिम के बीच "हिंदों की तकराहट" इस स्तर पर आ गई कि दंगों की स्थिति उभरने लगी और 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद गृह मन्त्र जेसी पारेस्थिति में भारत का विभाजन ही एकमात्र हल दिखाई देने लगा।

(b) व्याक्तिगत कारण :-

पहचान की प्रतिस्पर्धा ने भी विभाजन को बढ़ावा दिया विशेषतः नेहरू व जिन्ना के बीच पद की योग्यता का विषम और अहम का तकराव बढ़ता गया हा इसरी तरफ सरदार पटेल भारत में शान्ति व स्थापित के लिए विभाजन को स्वीकारने लगे।

इस तरह व्यापक स्तर पर भी महत्वपूर्ण नेताओं में विभाजन की स्थिति बनने लगी

निष्कर्ष :-

वस्तुतः भारत का विभाजन भारत की आजादी का एक साम्राज्यवादी द्रामा था। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान "फूट डालो और राज करो" की नीति को ऐसा शंकाग्र विचार कि उग्रवादी साम्यवादिकता ऐसी स्थिति में आ गई कि चाह कर भी इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका।

अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक साथ हर्ष और शोक दोनों को स्वीकारना पड़ा।

आज का भारत भी अंग्रेजों द्वारा बोधे गए इस विषम ब्रीच से मुक्त नहीं हो सका है, और विशेषतः राजनैतिक स्वार्थी की पूर्ति के क्रम में साम्यवादिक दंगे भड़क उठते हैं। अतः इस साम्यवादिकता की उत्पादक एवं विकास को सही तरीके से समझना व समझाना न सिर्फ इतिहास के लिए बल्कि वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए अति-आवश्यक है।